



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042021-226606
CG-DL-E-15042021-226606

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1504]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2021/चैत्र 23, 1943

No. 1504]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2021/CHAITRA 23, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2021

का.आ. 1615(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ बुलंदशहर खण्ड (रा.रा.-235) का रा.रा.-91 से जोड़ने हेतु किमी. 0.00 किमी. से 3.500 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ बुलंदशहर खण्ड (रा.रा.-235) का रा.रा.-91 से जोड़ने हेतु किमी 0.00 किमी. से 3.500 किमी. तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के कि.मी. 0 से 3.5 तक	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर	सिकंदराबाद	1 चन्देरु
					बुलंदशहर	1 अल्लीपुर गिझौरी
						2 कुडवल बनारस
						3 काजमपुर देवली
						4 कमालपुर
						5 औढेरा उर्फ नवादा
						6 असदुल्लापुर
						7 अडौली
						8 दरियापुर

[फा. सं. 55011/3a2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2021

S.O. 1615(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land for Meerut Bulandshahr Section (NH-235) connecting to NH-91 from Km. 0.00 to Km. 3.500 for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on Meerut Bulandshahr Section (NH-235) connecting to NH-91 from Km. 0.00 to Km. 3.500 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional District Magistrate (Administration)	0KM To 3.5KM	UTTAR PRADESH	BULANDSHAHR	Sikandrabad	1 Chanderu
					Bulandshahr	1 Allipur Gijhauri
						2 Kurval Banaras
						3 Kazampur Deoli
						4 Kamalpur
						5 Odara Urf Nawada
						6 Asadullapur
						7 Adaoli
						8 Dariyapur

[F. No. 55011/3a2]

RAJESH GUPTA, Director